

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक: प.4(48)वित्त-1(1)आ.व्यय/2021

जयपुर, दिनांक : 29-03-2022

परिपत्र

बजट प्रबन्धन प्रक्रिया के संचालन संबंधी परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त-1(1)आ.व्य./2021 दिनांक 06.09.2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, इसकी निरन्तरता में वित्तीय प्रबन्धन प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर सुगम बनाने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2022 से निम्न प्रक्रियाएँ एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है:-

1. सुगम समेकित (Consolidated) Pool बजट-

वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी को Pool के रूप में समेकित (Consolidated) बजट आवंटन किया जायेगा। बजट नियंत्रण अधिकारी के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों द्वारा बिल बनाने पर बिल की राशि समेकित Pool में से आहरण एवं वितरण अधिकारी/निर्माण खण्डों को सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी। विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों को बजट आवंटन/पुनर्वितरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अन्तर्गत -

- (i) Pool बजट के अन्तर्गत होने वाले भुगतान संवेतन, मजदूरी, पेंशन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, जल एवं विद्युत, टेलीफोन एवं किराया दर एवं रायल्टी के अतिरिक्त अन्य सभी विस्तृत मद (Object Head) BFC Minutes की शर्तों के अनुरूप तथा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बद्ध कर ही व्यय किया जावे।
- (ii) कार्यालयवार स्वीकृत पद, सर्विस कैटेगरीवार, कार्मिक की Employee ID, आदि के आधार पर वेतन का आहरण किया जा सकेगा।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2021-22 तक निर्माण विभागों (PWD/PHED/Forest/WR/CAD) को आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा साख सीमा (LOC) जारी की जा रही है। दिनांक 01.04.2022 से साख सीमा प्रक्रिया समाप्त की जाती है। निर्माण विभागों को अपने स्वयं से संबंधित बजट शीर्षों में पूर्ण बजट पूल (Pool) के रूप

- में उपलब्ध रहेगा। निर्माण विभागों के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों को AFS module की स्वीकृति के अनुसार बिल बनाने पर बिल की राशि समेकित Pool में से सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी। विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन/पुनर्वितरण की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) बजट नियमावली (भाग-1) के बिन्दु संख्या 20.23 के अनुसार मांग संख्या 19, 20, 21 तथा बजट शीर्ष 2059, 4059, 2216, 4216, 3054 व 5054 में संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आधार पर सम्बन्धित निर्माण विभाग को तदनुसार बजट आवंटन किया जावे। सम्बन्धित निर्माण विभाग के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों को AFS module की स्वीकृति के अनुसार बिल बनावें। बिल की राशि समेकित Pool में से सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी।
- (v) जिन विभागों द्वारा निर्माण विभागों (PWD/PHED/Forest/WR/CAD) के माध्यम से कार्य करवाया जाना है उन विभागों द्वारा निर्माण विभागों को यथा समय संबंधित बजट शीर्षों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण विभाग के संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी को बजट उपलब्ध करवाया जायेगा। निर्माण विभागों के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों को AFS module की स्वीकृति के अनुसार बिल बनावें। बिल की राशि समेकित Pool में से सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी। विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन/पुनर्वितरण की आवश्यकता नहीं होगी।

2. बिलों की सिस्टम पर स्वतः उपलब्धता -

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्त में बकाया बिल सिस्टम पर उपलब्ध रहेंगे। ऐसे बिल वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट के आधार पर कोषालयों द्वारा पारित किये जा सकेंगे।

3. सरलीकृत प्रतिशतता चार्ज -

वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में पूंजीगत निर्माण कार्यों में निर्माण कार्य एवं प्रतिशतता चार्ज के पृथक-पृथक बजट शीर्षों में प्रावधान किया जा रहा है तथा राजकोष/वॉम मॉड्यूल में निर्माण कार्य एवं प्रतिशतता चार्ज के पृथक-पृथक

बिल बनाये जाते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 01.04.2022 से पूंजीगत व्यय के बजट शीर्षों के अन्तर्गत प्रोरेटा/प्रतिशतता की राशि सहित निर्माण कार्यों का एक ही बजट शीर्ष में ईकजाई (Consolidated) बजट प्रावधान किया गया है। वॉम मॉड्यूल में विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की पूर्ण राशि का इकजाई (Consolidated) का ही बिल बनाया जायेगा एवं उस बिल में से प्रोरेटा/प्रतिशतता चार्ज की राशि IFMS सिस्टम पर पूंजीगत शीर्षों में व्यय के रूप में राशि में एवं राजस्व व्यय मद में वसूली स्वतः प्रदर्शित होगी।

4. ऑनलाईन निजी निक्षेप खाते खोलने की प्रक्रिया -

दिनांक 01.04.2022 से वित्त विभाग द्वारा निजी निक्षेप खाते खोलने हेतु सभी विभागों से प्रस्ताव Online ही प्राप्त किए जायेंगे। विभाग प्रस्ताव अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को Online ही प्रेषित करेंगे।

5. निजी निक्षेप खाते में Online राशि हस्तांतरण की सुविधा -

दिनांक 01.04.2022 से वित्त विभाग द्वारा निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तांतरण की Online स्वीकृति हेतु सभी विभागों से प्रस्ताव Online ही प्राप्त किए जायेंगे। विभाग द्वारा प्रस्ताव अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किए जायेंगे।

6. Online अतिरिक्त आवंटन, पुनर्विनियोजन सुविधा -

अतिरिक्त आवंटन, पुनर्विनियोजन से संबंधित प्रस्ताव दिनांक 01.04.2022 से विभाग द्वारा Online प्रेषित किए जाने पर ही वित्त विभाग द्वारा स्वीकार किए जायेंगे। किसी बजट शीर्ष में स्वीकृत बजट प्रावधानों के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर यथा संभव पुनर्विनियोजन (Re-Appropriation) के माध्यम से ही संबंधित शीर्ष में अतिरिक्त बजट प्राप्त किया जावे।

विभाग प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सक्षम स्तर से वांछित अनुमोदन उपरान्त पुनर्विनियोजन स्वयं के स्तर पर ही IFMS पर किया जाना सुनिश्चित करें। विभाग की सक्षमता नहीं होने की स्थिति में ही पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को Online अग्रप्रेषित किए जा सकेंगे।

पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त राशि प्राप्त किया जाना संभव न होने की स्थिति में ही अतिरिक्त अधिकृति के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को Online प्रेषित किये जावे।

7. विभिन्न आईटम्स की Online स्वीकृति -

दिनांक 01.04.2022 से पदों के सृजन/विलोपन, मशीन विद मैन, किराये के वाहन, वाहन क्रय एवं कम्प्यूटर/डेस्कटॉप/सर्वर/प्रिन्टर आदि के प्रस्ताव विभाग द्वारा IFMS पर Online ही प्रस्तुत किए जायेंगे। उक्त प्रस्तावों पर वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार उसी समय वित्त (व्यय) विभाग के स्तर पर IFMS पर नवीनतम स्थिति उपलब्ध होगी।


8. व्यय की system पर जांच सुविधा -

बजट नियंत्रण अधिकारी को भी अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की विस्तृत बजट मदवार पूर्ण सूचना सिस्टम पर जाँच हेतु उपलब्ध रहेगी। विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा व्यय की monitoring की जायेगी।

Online सुविधा <https://ifms.raj.nic.in> के WAM Module, RajKosh Module, PayManager Module, Budget Module पर उपलब्ध है।

तकनीकी सहायता के लिए वित्त विभाग सचिवालय में स्थित हैल्पडेस्क (0141-2924501) पर या ई-मेल (ifms-rj@nic.in) पर सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त प्रक्रियाओं का वर्चुअल प्रशिक्षण पृथक से दिया जायेगा।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।



(सुधीर शर्मा)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार, राजस्थान
2. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव
4. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग
5. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
6. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
8. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग
10. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) को सिस्टम में आवश्यक प्रावधान करवाने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1, 2, 3, 4, 5) विभाग
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस परिपत्र के बिन्दुओं के संदर्भ में विभिन्न Modules का integration प्राथमिकता के आधार पर करावें जिससे system जनित validation सुनिश्चित हो सके।
13. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

- (1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
- (2) सचिव, राजस्थान विधान सभा।
- (3) रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- (4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- (5) सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[03/2022]